BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
MISCELLANEOUS APPLICATION NO. 61 OF 2024
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 42 OF 2024

IN THE MATTER OF:

MADASIR HASAN & ORS. …APPLICANTS

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. …RESPONDENTS

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of Respondent No. 1, U.P. Pollution Control Board	1-3
2.	**ANNEXURE 1:** The copy of the inspection report dated 30.10.2024	4-8
3.	**ANNEXURE 2:** The copy of the letter dated 03.10.2024 sent by UPPCB	9-10
4.	**ANNEXURE 3:** The copy of the letter dated 01.10.2024 sent by UPPCB	11

THROUGH

DATE: 03.10.2024
PLACE: NEW DELHI

STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C1/131 MOTI BAGH, SHANTI PATH,
NEW DELHI-110021
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

201

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

MISCELLANEOUS APPLICATION NO. 61 OF 2024

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 42 OF 2024

NOTARY
NOORJAHAN
Civil Court
Lucknow (U.P.)
Regn- 19943/15
Ex. Dt-28-01-2025
NOTARIAL NOTARIAL
GOVT. OF INDIA

IN THE MATTER OF:

MADASIR HASAN & ORS. …APPLICANTS

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ...RESPONDENTS

AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Ajeet Kumar Suman S/o Late Baliram Vimal, aged about 50 years, R/o HIG-1056, Sector-I, Ashiyana, Lucknow, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am Regional Officer of Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter "UPPCB"), Azamgarh. I say that I am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorised to swear the present Affidavit.
2. That in compliance with the order dated 01.07.2024 passed by this Hon'ble Tribunal in the captioned matter, UPPCB had filed a

AK Suman

response dated 09.08.2024, stating that a Show Cause Notice dated 07.08.2024 had been issued for imposition of environmental compensation against the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Azamgarh for not setting up adequate sewage treatment plant facilities for treatment of sewage being discharged in open low lying areas.

3. That in pursuant to this, no reply has been received to the Show Cause Notice dated 07.08.2024 issued by UPPCB and the time limit of 15 days for the same has also expired.

4. That further inspections of the site in question, being the low lying area at Village Jalandhari, District Azamgarh, were conducted by officials of the UPPCB on 02.09.2024, 03.09.2024, 30.09.2024 and water samples were collected therein. The copy of the inspection report dated 30.10.2024is being attached as **Annexure No-1** to this affidavit.

5. That further in pursuance to the findings of above mentioned inspection report dated 30.10.2024, the UPPCB vide its letter dated 03.10.2024 has imposed the environmental compensation of ₹15 Lacs against the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Azamgarh for not setting up adequate sewage treatment plant. The copy of the letter dated 03.10.2024 is being attached herewith as **Annexure No-2** to this affidavit.

6. That further it is most respectfully submitted that UPPCB vide letter dated 01.10.2024 has directed to the Executive Engineer, UP Jal Nigam, Azamgarh for obtaining Consent to Establish for the under construction 8.0 MLD capacity Sewage Treatment Plant at Azamgarh. The copy of the letter dated 01.10.2024 is being attached herewith as **Annexure No-3** to this affidavit.

7. That the above additional response of Uttar Pradesh Pollution Control Board is submitted before Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION:

NOTARY NOTARY

Verified at Lko on this 3rd day of October, 2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Sworn and Verified before me.
3/10/24

NOORJAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 10943/15

NOTARY
NOORJAHAN
GOVT. OF INDIA
3/10/24

I know & Identify the deponent / Executant who has signed/ put his T.I. before me

S. Iqbal, Advocate
Reg No. 6043/1998

तार पर्यावरण
Gram : Paryavaran

" प्रदूषण रोकिए पर्यावरण बचाईए"
फोन – (05462)–247517
फैक्स – (05462)–247517

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आजमगढ़

REGIONAL OFFICE

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD-AZAMGARH

(Azamgarh,Ballia, Mau)

संदर्भ सं0 Ref. No. 572/O.A.No-42-N.G.T/नगरपालिका आजमगढ़/2024-25 — दिनांक : Date 8/10-2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय–नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.08.2024 की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के साथ इस कार्यालय द्वारा जालन्धरी गड़ही का निरीक्षण 30.09.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या मूल रुप में संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजीत कुमार सुमन)
क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा एम.ए. नं0–61/2024 ओरीजनल एप्लीकेशन नं0–42/2024 मे पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 तथा 11.09.2024 के क्रम में आख्या।

बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस पत्र सं0–एच 15384/सी–6/सा0–861/ओ0ए0–42/2024/आजम0/ 2024 दिनांक 07.08.2024 के तत्क्रम में दिनांक 02.09.2024, 03.09.2024 तथा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 11.09.2024 के क्रम में दिनांक 30.09.2024 को निरीक्षण किया गया। दिनांक 30.09.2024 को किये गये निरीक्षण के समय नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के अधिशाषी अधिकारी श्री विवेक त्रिपाठी उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है–

1. ग्राम/मुहल्ला–जालन्धरी की आबादी के मध्य एक गड़ही स्थित है। राजस्व विभाग के अनुसार गड़ही का गाटा सं0–355, क्षेत्रफल कुल 212 एयर है। जालन्धरी के निवासियों के घर से निकले वाला घरेलू उत्प्रवाह गड़ही में जाता था।
2. श्री मुदस्सर हुसैन, ग्राम/मुहल्ला–जालन्धरी, जनपद–आजमगढ़ द्वारा की गयी शिकायत में मा0 नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल अप्लिकेशन नं0–42/2024 बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 06.03.2024 को पारित आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, आजमगढ़ के पत्र सं0–5590/ओ0एस0डी0–66/2024 दिनांक 15.03.2024 तथा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), आजमगढ़ के पत्र सं0–20/एल0बी0सी0 दिनांक 15.03.2024 के अनुपालन में दिनांक 16.03.2024 को स्थल का निरीक्षण गठित कमेटी द्वारा किया गया।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आजमगढ़ द्वारा पत्र सं0–74/एल0बी0सी0 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा यू0पी0पी0सी0बी0 के अधिकारियों से अभिमत प्राप्त कर लिया जाय। इस कार्यालय द्वारा पत्र सं0–69/ओ0ए0 नं0–42/2024/2024–25 दिनांक 23.04.2024 के माध्यम से अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आजमगढ़ को अभिमत प्रेषित किया गया।
4. मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित एम.नं.–61/2024 (ओ0ए0नं0–42/2024) मदासिर हसन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के उक्त आदेश के क्रम में जालन्धरी गड़ही आजमगढ़ का निरीक्षण दिनांक 05.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय बायोरेमिडेशन का कार्य बन्द पाया गया तथा अशोधित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सीधे गड़ही में होता पाया गया। निरीक्षण के समय लिये गये जल नमूने की विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रचालकों का मान बोर्ड मानकों के अनुरुप नहीं पाया गया जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–24 का उल्लंघन दर्शाता है।
5. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0–370/ओ0ए0 नं042/2024 दिनांक 19.07.2024 के माध्यम से आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी थी।
6. बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच 15384/सी–6/सा0–861/ओ0ए0–42/2024/आजम0/ 2024 दिनांक 07.08.2024 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ को पयावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, उक्त के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़ के अभिलेखानुसार कोई भी उत्तर नगर पालिका परिषद द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित नहीं किया गया है।

(signature) 1/10/2024 L.A

(signature) 1/10/2024 A.S.O

7. बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच 15384 / सी–6 / सा0–861 / ओ0ए0–42 / 2024 / आजम0 / 2024 दिनांक 07.08.2024 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ को पयावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निर्गत कारण बताओ नोटिस की समयावधि समाप्त होने के उपरान्त ग्राम / मुहल्ला–जालन्धरी स्थित गड़ही का निरीक्षण दिनांक 02.09.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय निम्न तथ्य प्रकाश में आये–

- दिनांक 02.09.2024 को किये गये निरीक्षण के समय नाली बन्द होने के पश्चात् रिसाव के कारण पानी गड़ही में जाता पाया गया तथा गड़ही का जल नमूना एवं नाली पर हो रहे बायोरेमिडिएशन से पूर्व का जल नमूना एकत्रित कर क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा किया गया। नगर पालिका से वार्तानुसार उनके द्वारा दिनांक 02.09.2024 को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया कि दिनांक 02.09.2024 को सायं काल के पश्चात नाली को पूर्ण रुप से बन्द कर दिया गया।
- उक्त के अनुक्रम में पुनः दिनांक 03.09.2024 को मुहल्ला जालन्धरी स्थित गड़ही का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय नाली पूर्ण रुप से बन्द पायी गयी। गड़ही का जल नमूना एकत्रित कर क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा किया गया।

8. जल नमूना विश्लेषण उपरान्त प्रचालकों की मात्रा निम्नवत् पायी गयी, जो मानकों के अनुरुप नहीं है।

1. जालन्धरी गड़ही, आजमगढ़ में मिलने से पूर्व (नमूना एकत्रण दिनांक 02.09.2024)

Parameter	Unit	Result	Detection Range
pH, APHA24th Ed,4500-B: 2023	-	7.17	02-12
Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	30	5-10000 Hazen
Conductivity, APHA 24th ED.2510B:2023	uS/cm	1324	0.1-10000 uS/cm
Suspended Solids, APHA 24th Ed.2510B: 2023	mg/l	158	5.0-10000 mg/l
Disolved Solidds, APHA 24th ED. 2540 0c Total Disolvede Solids dried at 180 0c 2023	mg/l	792	5.0-10000 mg/l
Hardness ,APHA 24th Ed. 2340 0c EDTA Titrimetric Method 2023	mg/l	488	10.0-5000 mg/l
Chloride, APHA 24th ED 4500-Cl-B:2023	mg/l	171.93	3.0-500 mg/l
Toatal Coliform, APHA 9221 24th Ed: 2023	MPN/100ml	580000	<1.8 MPN/100ml & above
Fecal Coliform, APHA 9221 24th Ed: 2023	MPN/100ml	310000	<1.8MPN/100ml & above
BOD, APHA 24th Ed.3 day 27 ^{0}C IS 3025 (Part 44); 1993 Bio 2023	mg/l	58	1.0-1000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	218	4.0-1000 mg/l
D.O. ,APHA 24th Ed. 4500-OB Iodometric Method 2023	mg/l	1.2	0.2-14.0 mg/l

2. जालन्धरी गड़ही, आजमगढ़ बायो रेमिडिएशन के उपरान्त (नमूना एकत्रण दिनांक 02.09.2024)

Parameter	Unit	Result	Detection Range
pH, APHA24th Ed,4500-B: 2023	-	7.24	02-12
Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	30	5-10000 Hazen
Conductivity, APHA 24th ED.2510B:2023	uS/cm	1172	0.1-10000 uS/cm
Suspended Solids, APHA 24th Ed.2510B: 2023	mg/l	140	5.0-10000 mg/l
Disolved Solidds, APHA 24th ED. 2540 0c Total Disolvede Solids dried at 180 0c 2023	mg/l	738	5.0-10000 mg/l

1/10/2024

1/10/2024

Hardness ,APHA 24th Ed. 2340 0c EDTA Titrimetric Method 2023	mg/l	456	10.0-5000 mg/l
Chloride, APHA 24th ED 4500-Cl-B:2023	mg/l	148	3.0-500 mg/l
Toatal Coliform, APHA 9221 24th Ed: 2023	MPN/100ml	210000	<1.8 MPN/100ml & above
Fecal Coliform, APHA 9221 24th Ed: 2023	MPN/100ml	120000	<1.8MPN/100ml & above
BOD, APHA 24th Ed.3 day 27 ^{0}C IS 3025 (Part 44); 1993 Bio 2023	mg/l	28.2	1.0-1000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	134.0	4.0-1000 mg/l
D.O. ,APHA 24th Ed. 4500-OB Iodometric Method 2023	mg/l	2.4	0.2-15.0 mg/l

3. जालन्धरी गड़ही, आजमगढ़ (नमूना एकत्रण दिनांक 03.09.2024)

Parameter	Unit	Result	Detection Range
pH, APHA24th Ed,4500-B: 2023	-	7.27	02-12
Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	30	5-10000 Hazen
Conductivity, APHA 24th ED.2510B:2023	uS/cm	1140	0.1-10000 uS/cm
Suspended Solids, APHA 24th Ed.2510B: 2023	mg/l	132	5.0-10000 mg/l
Disolved Solidds, APHA 24th ED. 2540 0c Total Disolvede Solids dried at 180 0c 2023	mg/l	724	5.0-10000 mg/l
Hardness ,APHA 24th Ed. 2340 0c EDTA Titrimetric Method 2023	mg/l	436	10.0-5000 mg/l
Chloride, APHA 24th ED 4500-Cl-B:2023	mg/l	146	3.0-500 mg/l
Toatal Coliform, APHA 9221 24th Ed: 2023	MPN/100ml	150000	<1.8 MPN/100ml & above
Fecal Coliform, APHA 9221 24th Ed: 2023	MPN/100ml	94000	<1.8MPN/100ml & above
BOD, APHA 24th Ed.3 day 27 ^{0}C IS 3025 (Part 44); 1993 Bio 2023	mg/l	21.6	1.0-1000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	120.8	4.0-1000 mg/l
D.O. ,APHA 24th Ed. 4500-OB Iodometric Method 2023	mg/l	2.8	0.2-16.0 mg/l

9. मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 11.09.2024 के तत्क्रम में दिनांक 30.09.2024 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि मोहल्ला जालन्धरी के घरों से निकलने वाले उत्प्रवाह जो जालन्धरी गड़ही में प्रवाहित होता था, पूर्णतया बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय जालन्धरी गड़ही में एक स्थान पर बायोरिमेडिएशन का कार्य हो रहा था। जालन्धरी गड़ही में पूर्व में एकत्रित जल एवं वर्तमान में वर्षा होने के कारण एकत्रित जल का नमूना एकत्रीत कर क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी की प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है।

10. मोहल्ला जालन्धरी के मकानों की नालियों को जल निगम द्वारा बनायी गयी जालन्धरी मोहल्ले की गलियों में स्थापित की गयी सीवर लाइन तथा मुख्य सीवर लाइन से भी नहीं जोड़ा गया है। निरीक्षण के समय मोहल्ला जालन्धरी में अशोधित घरेलू उत्प्रवाह के कारण सीवर जाम तथा ओवर फ्लो की समस्या बनी हुई पायी गयी। स्थल पर मौजूद श्री विवेक त्रिपाठी, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम द्वारा 8.0 एम0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 निर्माणाधीन है।

1/10/2024
LA

1/10/2024
ASO

11. अग्रेतर अवगत कराना है कि जल निगम द्वारा 8.0 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 की स्थापना हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है तथा राज्य बोर्ड में न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा–24 का उल्लंघन है। उक्त के सम्बन्ध में अधिशाषी अभियंता, जल निगम, आजमगढ़ को एस0टी0पी0 स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है।
12. वर्तमान में ग्राम/मोहल्ला–जालन्धरी से निकलने वाला अशोधित घरेलू उत्प्रवाह जिस नाले में एकत्रित हो रहा है, उसमें अशोधित उत्प्रवाह के शोधन हेतु कोई व्यवस्था नहीं पायी गयी। उक्त नाला अन्ततः दलालघाट नाले से मिलता है। उक्त नाला पूर्व में 17 नालों हेतु नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति में सम्मिलित है।
13. निरीक्षण के समय लिये गये फोटो ग्राफ्स निम्नवत है–

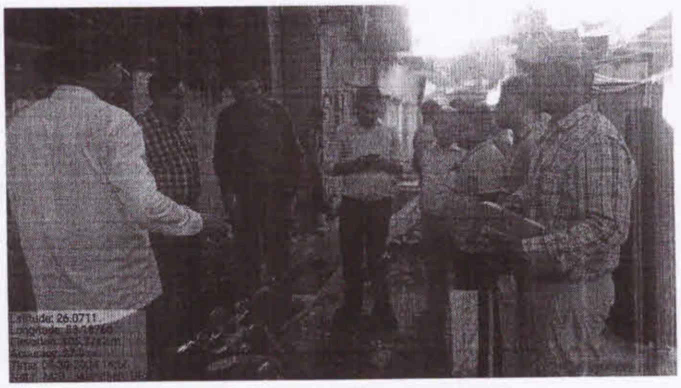

उपरोक्तानुसार अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.08.2024 की पुष्टि करते हुए संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1/10/2024 1/10/2024

(नवीन कुमार) (ओ0एच0 सिद्दीकी)

प्रयोगशाला सहायक सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्राण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No...H.18153/सी.–6/सा0–861/ओए 42/2024/पुष्टि/आजम0/2024 *Dated* 03-10-2024

ई–मेल/पंजीकृत

सेवा में,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
आजमगढ़। मोबाइल नं–9794952862।

विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला जालन्धारी स्थित गढ़ही में निस्तारित हो रहे सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी विभाग नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के विरूद्ध दिनांक 05.07.2024 से रूपये 5.0 लाख प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.08.2024 की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड के पत्रांक एच.15384/सी0–6/सा0–861/ओए 42/2024/आजम0/2024 दिनांक 07.08.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला जालन्धारी स्थित गढ़ही में निस्तारित हो रहे सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी विभाग नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के विरूद्ध दिनांक 05.07.2024 से रूपये 5.0 लाख प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 07.08.2024 को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस को राज्य बोर्ड द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था, जिसे आन लाइन ट्रैक किये जाने से ज्ञात हुआ कि उक्त नोटिस आपको दिनांक 12.08.2024 को प्राप्त हो गया है, किन्तु आप द्वारा नोटिस के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रत्यावेदन उपलब्ध नही कराया गया है।

उपरोक्तानुसार निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.08.2024 के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 01.10.2024 के माध्यम से संस्तुति आख्या बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त आख्यानुसार जनपद–आजमगढ़ के क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला जालन्धारी स्थित गढ़ही का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 02.09.2024 एवं दिनांक 03.09.2024 को किया गया।

दिनांक 02.09.2024 को निरीक्षण के समय गढ़ही के आस–पास स्थित आबादी से जनित उत्प्रवाह हेतु निर्मित नाली बन्द होने के पश्चात रिसाव से उत्प्रवाह गढ़ही में मिलता हुआ पाया गया तथा निरीक्षण के समय उक्त नाली पर हो रहे बायोरेमिडियेशन से पूर्व एवं पश्चात के जल नमूने एकत्र कर विश्लेषण हेतु राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी में जमा कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार परिणाम निम्नवत् हैः–

Location of Sampling point	Date of sample collection	Parameters				
		pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TC (MPN/ml)	FC (MPN/mL)
बायोरेमिडियेशन से पूर्व	02.09.2024	7.17	58	218	580000	310000
बायोरेमिडियेशन से पश्चात (गढ़ही का जल नमूना)		7.24	28.2	134	210000	120000

दिनांक 03.09.2024 को निरीक्षण के समय गढ़ही के आस–पास स्थित आबादी से जनित उत्प्रवाह हेतु निर्मित नाली पूर्ण रूप से बन्द पायी गयी तथा गढ़ही का जल नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी में जमा कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार परिणाम निम्नवत् हैः–

Location of Sampling point	Date of sample collection	Parameters				
		pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TC (MPN/ml)	FC (MPN/mL)
बायोरेमिडियेशन से पश्चात (गढ़ही का जल नमूना)	03.09.2024	7.27	21.6	120.8	150000	94000

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त वर्णित क्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़ के निरीक्षण के समय पाये गये तथ्य से स्पष्ट है कि उक्त कृत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 की धारा–24 का उल्लंघन दर्शाता है।

माननीय एनजीटी, नई दिल्ली में विचाराधीन ओए संख्या 42/2024 में एमए संख्या 61/2024 मदासिर हसन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 11.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"..........1. After some arguments learned counsel appearing for State of UP and Respondent No.3-Nagar Palika Parishad, Ajamgarh stated that since pending work with regard to STP and sewer connection shall be completed by 30.09.2024, therefore Tribunal may take up this matter after 30.09.2024..........."

माननीय अधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार पारित आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़ द्वारा प्रश्नगत गढ़ही का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 30.09.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि मोहल्ला जालन्धरी के घरों से निकलने वाले उत्प्रवाह जो जालन्धरी गढ़ही में प्रवाहित होता था, पूर्णतया बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय जालन्धरी गढ़ही में एक स्थान पर बायोरिमेडियेशन का कार्य हो रहा था। मोहल्ला जालन्धरी के मकानों की नालियों को जल निगम द्वारा बनायी गयी जालन्धरी मोहल्ले की गलियों में स्थापित की गयी सीवर लाइन तथा मुख्य सीवर लाइन से नहीं जोड़ा गया है। निरीक्षण के समय मोहल्ला जालन्धरी में अशोधित घरेलू उत्प्रवाह के कारण सीवर जाम तथा ओवर फ्लो की समस्या बनी हुई पायी गयी। स्थल पर मौजूद श्री विवेक त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम द्वारा 8.0 एमएलडी क्षमता का एस0टी0पी0 निर्माणाधीन है। अग्रेतर यह भी अवगत कराया गया है कि वर्तमान में मोहल्ला–जालन्धरी से निकलने वाला अशोधित घरेलू उत्प्रवाह जिस नाले में एकत्रित हो रहा है, उसमें अशोधित उत्प्रवाह के शोधन हेतु कोई व्यवस्था नहीं पायी गयी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा यद्यपि नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के क्षेत्रान्तर्गत के मोहल्ला–जालन्धरी स्थित गढ़ही में सीवेज उत्प्रवाह के निस्तारण को रोका गया है, किन्तु उक्त उत्प्रवाह को मुख्य सीवर लाइन से सम्बद्ध नही किया गया है, जिससे उक्त उत्प्रवाह से ओवर फ्लो की समस्या बनी हुई है तथा उक्त उत्प्रवाह के पूर्ण रूपेण शुद्धिकरण हेतु समुचित शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित नही की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 01.10.2024 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के क्षेत्रान्तर्गत के मोहल्ला–जालन्धरी स्थित आबादी से जनित सीवेज उत्प्रवाह को मुख्य सीवर लाइन से सम्बद्ध न किये जाने के फलस्वरूप, उक्त उत्प्रवाह से ओवर फ्लो की समस्या बनी हुई है तथा उक्त उत्प्रवाह के पूर्ण रूपेण शुद्धिकरण हेतु समुचित शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के विरूद्ध दिनांक 05.07.2024 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह की दर से माह जुलाई, 2024 से माह सितम्बर, 2024 तक कुल उल्लंघनकारी 03 माह हेतु रू0 05 लाख प्रतिमाह की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 15.0 लाख अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ की संस्तुति को दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.08.2024 की पुष्टि करते हुये नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के विरूद्ध उल्लंघनकारी 03 माह हेतु रू0 05 लाख प्रतिमाह की दर से आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 15.0 लाख (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) अधिरोपित की जाती है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित **Payment Gateway** एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:–

Payment Gateway- **https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB**
Nature of Pollution- **Water Pollution**
EC imposed in compliance- **NGT Order**

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

Scanned with OKEN Scanner

प्रदूषण रोकिए। पर्यावरण बचाइए ॥

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AZAMGARH

पत्र सं./Ref- 570/S.T.P. व E.T.P./2024-25 दिनांक/Date 01-10-2024

सेवा में,

अधिशाषी अभियंता
जल निगम
आजमगढ़।

विषय—<u>निर्माणाधीन एस0टी0पी0 हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के साथ इस कार्यालय द्वारा जालन्धरी गड़ही का निरीक्षण किया गया। अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जालन्धरी मोहल्ले के घरों से निकलने वाले उत्प्रवाह का निस्तारण नाले द्वारा जनपद—आजमगढ़ में स्थापित हो रहे 8.0 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट के माध्यम से किया जायेगा तथा अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आप द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट के स्थापनार्थ हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। राज्य बोर्ड में न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा—24 का उल्लंघन है।

अतः एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु राज्य बोर्ड की वेबसाइट https://niveshmitra.up.nic.in पर निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध की जाने वाली किसी भी कार्यवाही हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

भवदीय

(अजीत कुमार सुमन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि—मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी